माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक–23.10.2016 को श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती (प्रकाशोत्सव) के आयोजन हेतु की जाने वाली तैयारियों से संबंधित स्थल निरीक्षण की कार्यवाही।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा सिक्खों के दसवें और अंतिम गुरू श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350 वीं जयंती (प्रकाशोत्सव) के अवसर पर किये जाने वाले तैयारियों की समीक्षा हेतु दिनांक–23.10.2016 को इस आयोजन से संबंधित प्रमुख स्थलों एवं क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मुख्य सचिव, बिहार, विकास आयुक्त, बिहार, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव तथा क्षेत्रीय प्रशासन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एन. एच. 31 से चौक शिकारपुर रेलवे ओवर ब्रिज के बीच गुरू गोविन्द सिंह लिंक पथ का निरीक्षण किया गया तथा निदेश दिया गया कि गुरू गोविन्द सिंह लिंक पथ के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि एन. एच. 31 से चौक शिकारपुर रेलवे ओवर ब्रिज के बीच गुरू गोविन्द सिंह लिंक पथ पर सड़क के दोनों ओर कपड़े का स्क्रीन लगाया जाय तथा उस पर बेहतर चित्रकारी/कलाकृति/आकर्षक डिजाईन बनाया जाय।

(अनुपालनः–सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग)

3. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चौक शिकारपुर आर.ओ.बी. के ऊपर अवस्थित निशान साहिब का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के क्रम में आर.ओ.बी. के नीचे सड़क के दोनों ओर के मलवे और गन्दगी को हटाते हुए उसे पूरी तरह से साफ करने का निदेश दिया गया। साथ ही आर.ओ.बी. के नीचे सड़क एवं उसके फ्लैंक की मरम्मति कर उसे दुरूस्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/नगर आयुक्त, पटना)

4. तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुरूद्वारे के पूर्वी ओर अवस्थित हरमंदिर गली का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिए गएः–

(i) गली के मुहाने से लेकर गली के अन्दर तक विभिन्न स्थानों पर बिजली के लटकते हुए तथा अन्य अनुपयोगी तारों को हटाते हुए उसे सुव्यवस्थित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना)

(ii) हरमंदिर गली में गुरूद्वारे का छज्जा लटका हुआ पाया गया, जिसकी स्थिति जर्जर पायी गयी, जिसके गिरने से दुर्घटना भी हो सकती है। अतः उस छज्जे को शीघ्र हटाते हुए समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—जिला पदाधिकारी, पटना)

(iii) हरमंदिर गली में गुरूद्वारे के उपर से पाईप से गंदा पानी का निकास देखा गया, जिसे अविलंब बंद करते हुए दुरूस्त करने का निदेश दिया गया, ताकि उपर से दूषित पानी किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं के उपर न गिरे।

(अनुपालनः—जिला पदाधिकारी, पटना)

(iv) गुरूद्वारा भवन के वैसे पाईप जो हरमंदिर गली से सटे हुए हैं, की मरम्मति तथा गुरूद्वारा भवन के पास के जर्जर पाइपों की मरम्मति कर ठीक करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—नगर आयुक्त, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना)

(v) हरमंदिर गली के दोनों ओर सभी भवनों को विशेष रंग से रंगे जाने की संभावना पर विचार करते हुए लोगों को प्रेरित करने हेतु सरकारी रूप से आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं को एक बेहतर परिदृश्य दिखाई दे।

(अनुपालनः—प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग)

(vi) हरमंदिर गली में कुछ दूर बाद एक मकान की निजी सीढ़ी गली में आगे तक पाई गई, जिसमें चलने के क्रम में ठोकर लगने की संभावना हो सकती है। इसे अविलंब हटाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—जिला पदाधिकारी, पटना)

(vii) कतिपय मकानों के पाईप अनावश्यक एवं गलत रूप से निकले हुए पाये गये। पूछे जाने पर बताया गया कि इन मकानों में कोई नहीं रहता है ओर ये पाईप अनुपयोगी हैं, जिन्हें शीघ्र हटाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—नगर आयुक्त, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना)

(viii) पंजाबी रसोई के बोर्ड लगे हुए मकान के अन्दर गौशाला देखा गया। गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे इस मकान मालिक से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि इस गुरू पर्व के आयोजन अवधि में किसी भी हालत में सड़क पर गोबर या अन्य गंदगी नहीं फेंका जाय।

(अनुपालनः—नगर आयुक्त, पटना/महासचिव, गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटि,पटना सिटी)

5. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुरूद्वारा के पश्चिमी ओर अवस्थित बाड़े की गली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में बाड़े की गली में निर्माणाधीन पथ एवं पाईप लाईन का काम शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना)

6. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुरूद्वारा के अन्दर होने वाले आयोजन से संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित सुझाव एवं निदेश दिए गएः—

(i) निरीक्षण के क्रम में गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि गुरूद्वारा के पश्चिमी भाग से सटे हुए दीवार को शीघ्र तोड़कर वहाँ रास्ता खोल दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में असुविधा नहीं हो।

(अनुपालनः—महासचिव, गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, पटना सिटी)

(ii) गुरूद्वारा के बेसमेंट से उपर जमीन पर आने वाले मार्ग का स्लोप ठीक करने का निदेश दिया गया, ताकि आवागमन में सुविधा हो। साथ ही इस ढलान के दोनों ओर स्टील की रेलिंग लगाने का निदेश दिया गया, ताकि समतल जमीन की ढलान परिवर्तित होने के कारण किसी के गिरने या असंतुलित होने की संभावना न रहे।

(अनुपालनः—महासचिव, गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, पटना सिटी)

(iii) गुरूद्वारा में आंतरिक वायरिंग की स्थिति भी अव्यवस्थित देखी गयी, जिसे ठीक करते हुए उसे व्यवस्थित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—महासचिव, गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, पटना सिटी/सहयोग—ऊर्जा विभाग)

7. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कंगन घाट का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिए गएः—

(i) निरीक्षण के क्रम में कंगन घाट पर निर्माणाधीन दोनों पथों को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग)

(ii) कंगन घाट के लिए बनाये गये पक्के पाथ—वे पर सुन्दर और अच्छी क्वालिटी के पेबर्स ब्लॉक लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—सचिव, पथ निर्माण विभाग)

(iii) कंगन घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होगी। अतः इसे वन—वे किया जाय, यानि पूर्वी ओर से श्रद्धालुओं का प्रवेश और पश्चिमी ओर से उनके निकास की संभावना पर विचार किया जाय।

(अनुपालनः—जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना)

(iv) कंगन घाट जाने वाले मार्ग के पास स्थित गुरूद्वारा से निकलने वाले रास्ते के ऊपर बने हुए मेहराब के संबंध में जाँच करने का निदेश देते हुए कहा गया कि जिला पदाधिकारी, पटना इसकी जाँच करें कि यह किस प्रकार बनाया गया है तथा यदि यह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तो इसे शीघ्र हटाने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालनः—जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना)

8. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में वहाँ उपस्थित महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे एवं

मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर द्वारा आश्वस्त किया गया कि पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्यों को हर हाल में नवम्बर, 2016 के अंत तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

(अनुपालनः– महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर)

9. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना घाट रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित सुझाव दिए गएः–

(i) पटना घाट रेलवे स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित करने की संभावना पर विचार किया जाए।

(अनुपालनः–महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर)

(ii) पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट रेलवे स्टेशन पर लाईन बिछाने के कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि 30 नवम्बर, 2016 तक कार्य पूर्ण कराया जा सके।

(अनुपालनः– महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर)

(iii) पटना घाट रेलवे स्टेशन के बगल में अवस्थित रेलवे की जमीन पर लंगर लगाने हेतु एक छोटा टेंट सिटी बनाने एवं लंगर की व्यवस्था करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय, ताकि वैसे श्रद्धालुओं, जो ट्रेन से पटना साहिब एवं पटना घाट रेलवे स्टेशन तक आएँगे, को स्टेशन के निकट आवासन एवं भोजन की सुगम व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

(अनुपालनः–प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर/जिला पदाधिकारी, पटना/महासचिव, गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटि, पटना सिटी)

(iv) पटना घाट रेलवे स्टेशन तक आने वाले रास्ते और रेलवे लाईन के बीच कुछ जगहों पर अस्थायी बैरिकेडिंग लगाने की आवश्यकता होगी, ताकि स्थानीय व्यक्ति रेलवे लाईन को पैदल पारकर आवागमन न करे, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना हो सकती है।

(अनुपालनः– महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर/जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना)

(v) इसी प्रकार पटना घाट स्टेशन के निकट सिग्नल पर भी चेन आधारित अवरोध या अन्य अवरोध लगाने की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाय।

(अनुपालनः—महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर)

(vi) पटना घाट तक आने वाली सड़क (जो रेलवे की सड़क बतायी गयी), की मरम्मति शीघ्र करा ली जाय।

(अनुपालनः—महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर)

10. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुरू का बाग का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिए गएः—

(i) गुरू का बाग में अवस्थित तालाब में पानी की स्वच्छता लगातार बनी रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि इस पानी के निकास का आउटलेट एवं इसके लिए अलग से नाला निर्माण शीघ्र कराया जाय।

(अनुपालनः—प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)

(ii) तालाब के पानी को भरने के लिए 3 एच.पी. अथवा आवश्यकतानुसार अन्य क्षमता का सोलर पम्प भी लगाने की संभावना पर विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि इस तालाब में जल का प्रवाह एवं स्वच्छता निरन्तर बनी रहे।

(अनुपालनः—महासचिव, गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, पटना साहिब/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग)

11. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाईपास पर प्रस्तावित पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिए गएः—

(i) एन.एच.—31 से बाईपास थाना होते हुए पार्किंग स्थल तथा तक पहुँचने वाले रास्ते का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—सचिव, पथ निर्माण विभाग)

(ii) एन.एच.–31 से पार्किंग स्थल जाने वाले सड़क के शुरूआत में अवस्थित अवरोध की जानकारी दिए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका समाधान शीघ्र करने का निदेश जिला पदाधिकारी, पटना को दिया गया।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी, पटना)

12. इसके अतिरिक्त इस पूरे निरीक्षण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेश दिया गया कि उनके विभाग द्वारा प्रकाशोत्सव के अवसर पर क्रियान्वित की जाने वाले सभी योजनाओं को युद्धस्तर पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा किसी भी स्थिति में ये सारी योजनाएँ नवम्बर माह तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए।

(अनुपालनः–प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, पी.एच.ई.डी./प्रधान सचिव, परिवहन विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, सूचना प्रावैद्यिकी विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर/महासचिव, गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटि, पटना सिटी)

2/11/16

(आयुक्त)
पटना प्रमंडल, पटना।

ह०/–
(प्रधान सचिव)
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8238 / पटना, दिनांक 10/11/ 2016।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, पी.एच.ई.डी./प्रधान सचिव, परिवहन विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, सूचना प्रावैद्यिकी विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर/महासचिव, गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटि, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/2016

(प्रधान सचिव)
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8238 / पटना, दिनांक 10/11/ 2016।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

9/11/2016

(प्रधान सचिव)
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।